

**MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY**

**NEW ADVERTISEMENT POLICY [WITH EFFECT FROM
2nd October,2007]**

Clause1

The Directorate of Advertising & Visual Publicity (DAVP) is the nodal agency of the Government of India for advertising by various Ministries and organizations of Government of India including public sector undertakings and autonomous bodies. The primary objective of the Government in advertising is to secure the widest possible coverage of the intended content or message through newspapers and journals of current affairs as well as Science Art, Literature, Sports, Films, Cultural Affairs etc. In releasing advertisements to newspapers /journals the DAVP does not take into account the political affiliation or editorial policies of newspapers /journals. However, DAVP would avoid releasing advertisements to newspapers /journals, which incite or tend to incite communal passion, preach violence, offend the sovereignty and integrity of India or socially accepted norms of public decency and behavior.

In supercession of all earlier orders, the Government hereby lays down the New Advertisement Policy with effect from 2nd October, 2007.

NOTE : House Journals, Souvenirs and Annual Periodicals, will not be empanelled.

Clause2

Government advertisements are not intended to be financial assistance to newspapers/journals. DAVP maintains a list of newspapers/journals approved for release of advertisements by empanelling acceptable newspapers/journals. DAVP will empanel only such newspapers/journals as are required for issuing advertisements of the Government of India. Care is taken to empanel newspapers/journals having readership from different sections of the society in different parts of the country.

Clause3

All Central Govt. Ministries/ Departments/ Attached & Subordinate Offices/ Field Offices shall route their advertisements, including display advertisements, through DAVP. However, they may issue tender notices directly to empanelled newspapers only at DAVP rates. PSUs, Autonomous Bodies & Societies of Govt. of India may issue all advertisements, directly at DAVP rates to empanelled newspapers, provided all classified and display advertisements are released in the following manner :

(in rupee terms)	
Small	15% (minimum)
Medium	35% (minimum)
Big	50% (maximum)
English languages	30% (approx.)
Hindi languages	35% (approx.)
Regional and other languages*	35% (approx.)

*like Bodo, Dogri, Garhwali, Kashmiri, Khasi, Konkani, Maithili, Manipuri, Mizo, Nepali, Rajasthani, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Urdu and Tribal languages as certified by State Governments.

Clause4

All Ministries/ Departments/Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/ Attached & Subordinate Offices will have to issue Letter Of Authority (LOA) upto 80% of the actual expenditure in the previous year within the first month of the new financial year and clear all the remaining payments before 28th Of February, of the financial year.

Clause5

Panel Advisory Committee

There shall be a Panel Advisory Committee (PAC) for considering applications of newspapers/journals for being empanelled for receiving Government advertisements. This Committee shall be headed by Director General, DAVP and shall include Addl. Director General (Media & Communication)/Deputy Director General (Media & Communication) in the Press Information Bureau (PIB), Press Registrar/Deputy Press Registrar and Director/Deputy Secretary/ Under Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting

dealing with Print Media. The Committee will also have one representative each from the Association of big, medium and small newspapers. The recommendations of the PAC as accepted by the DG, DAVP regarding empanelment of a newspaper shall be final.

Clause6

In pursuance of broad social objectives of the Government and for ensuring fairness among various categories of newspapers/journals, the PAC considers empanelment of newspapers/journals belonging to the following categories on priority :

- a) Small and medium newspapers/journals
- b) Language newspapers such as Bodo, Dogri, Garhwali, Kashmiri, Khasi, Konkani, Maithili, Manipuri, Mizo, Nepali, Rajasthani, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Urdu and Tribal languages as certified by State Governments.
- c) Newspapers/journals published in backward, remote, hilly and border areas and those published in J&K, Andaman & Nicobar Islands and North Eastern States.

Clause7

Newspapers/journals are classified into three categories, namely i) Small, with a circulation of up to 25,000 copies per publishing day.

- ii) Medium, between 25,001 and 75,000 copies per publishing day, and
- iii) Big, with a circulation of above 75,000 copies per publishing day.

Clause8

All newspapers/ journals seeking empanelment should comply with following:

1. It must have been uninterruptedly and regularly under publication for a period of not less than 36 months save as under:
 - (a) To provide special encouragement for newspapers in languages like Bodo, Garhwali, Dogri, Kashmiri, Khasi, Konkani, Maithili, Manipuri, Mizo, Nepali, Rajasthani, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Urdu and tribal languages/dialects as certified by State Government OR newspapers published in J&K, Andaman & Nicobar Islands and North Eastern States can be considered for empanelment after 6 months of regular and uninterrupted publication. In the case of all regional and other language small & medium newspapers, the qualifying period shall be 18 months.

(b) In order to tap the readership potential of mass circulated newspapers, with a circulation of one lakh and above, such newspapers be made eligible for empanelment after a period of 1 year of regular and uninterrupted publication. The circulation claim of such newspapers will be considered only if certified by RNI or ABC.

2. It should comply with the provisions of the Press & Registration of Books Act, 1867.
3. It should not have been disqualified by DAVP in the last six years and should not be a defaulter of DAVP.
4. The period of disqualification should not exceed six years.
5. It should not have been Unestablished by RNI at the time of applying.
6. The applicant should also furnish a copy of the Certificate of Registration issued by the RNI in the name of the publisher.
7. The details of the paper like size, language, periodicity, print area and details of printing press etc. as asked for in empanelment form may be given.
8. Further, it must be substantiated that the paper is being published at a reasonable standard. Reasonable standard, inter alia, means that
 - (a) The Print matter and photographs should be legible, neat, clear and without smudges, overwriting, and tampering.
 - (b) There should be no repetition of news items or articles from other issues.
 - (c) There should be no reproduction of news items or articles from other newspaper/journals and the source of news/articles should be mentioned.
 - (d) Masthead on its front page should carry the title of the newspaper, place, date and day of publication; it should also carry RNI Registration Number, volume & issue number, number of pages and price of newspaper/journals;
 - (e) The newspaper should carry imprint line as required under PRB Act; and
 - (f) Inner pages must carry page number, title of the paper and date of publication. For multi-editions place of publication must be mentioned in inner pages also.

(g) All the publications must carry editorial.

NOTE: The publisher must ensure that his/her publication fulfils all the norms laid down in the Policy before applying for empanelment/ rate renewal. The application form must be complete in all respects with supporting documents. Incomplete applications will not be considered.

Fresh applications for empanelment may be made twice a year i.e. once at the end of February and other by the end of August. The Applications made before February end will be considered in month of May of the same year and their contract will start w.e.f. 1st July of the same year and applications made before August end will be considered in November and their contract will start w.e.f 1st January of the next year. The details of documents required for empanelment is in ANNEXURE.

Clause9

Notwithstanding any of the provisions mentioned above, DG, DAVP, as Chairperson of the Panel Advisory Committee, will have discretion to grant provisional empanelment to a newspaper, subject to approval of the PAC, for a period of six months or till the next meeting of the PAC if the newspaper has completed all the formalities required for empanelment and otherwise found suitable for issue of Government advertisements. All such cases of provisional empanelment will be placed before the PAC in its next meeting.

Clause10

Rate Contract

All empanelled newspapers/ publications will be asked to enter into a rate contract, which will be valid for a period of 3 years. However, a change in circulation can be accepted only once, after completion of one year from the date of rate contract, during the validity period of the rate contract, on the basis of CA/RNI/ABC certificates, as applicable, duly supported with the proof of submission of Annual Return for the previous year to RNI. However, in case of information regarding decrease in circulation from ABC/RNI, the decision of DG,DAVP will be final.

NOTE 1: Application for renewal of rate Contract can be downloaded from DAVP website.

NOTE 2: All empanelled publications must submit a copy of annual return submitted to RNI with receiving proof from RNI for the previous year, by 30th September every year, failing which the newspaper can be deempanelled by DG,DAVP.

Clause11

Regularity

The applicant should have published the newspaper on at least 25 days in each month during preceding 12 months. Weeklies should have published 46 issues during the preceding year, fortnightlies 23 issues and monthlies 11 issues during the preceding year to be considered being brought out regularly.

Clause12

Newspapers/journals having established circulation of more than 75,000 copies per publishing day, as certified by Audit Bureau of Circulation (ABC) can seek empanelment of their fresh edition from a new place after having regular publication for preceding 4 months with same title, but in such cases empanelment of fresh edition will be only in the lowest slab of the category of circulation.

In case of small & medium papers (dailies), new editions can also be empanelled after 4 months of regular publication as per circulation certified by CA in the prescribed format subject to other conditions of Advertisement Policy.

Clause13

A newspaper/journal should have a minimum paid circulation of not less than 2000 copies for being considered eligible for empanelment. However, newspapers/journals in Bodo, Dogri, Garhwali, Kashmiri, Khasi, Konkani, Maithili, Manipuri, Mizo, Nepali, Rajasthani, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Urdu and Tribal languages as certified by State Governments. published all over the country and newspapers/journals published in backward, border, hilly areas OR remote areas OR tribal languages OR those published in J&K, Andaman & Nicobar Islands and North-Eastern States need to have substantiated minimum paid circulation of only 500 copies per publishing day.

Clause14

A newspaper/journal should have the following minimum print area:

PERIODICITY PRINT AREA NOT LESS THAN

Dailies 1520 Std.Col.Cms./7600 Sq. Cms. Weeklies/ 700 Std.Col.Cms./3500 Sq.Cms.
Fortnightlies

Monthlies 960 Std. Col. Cms./ 4800 Sq.Cms.

Exceptions may, however, be made by PAC in the case of newspapers/journals falling in the categories mentioned in Clause 13.

Clause15

The empanelment already granted by the DG, DAVP earlier will remain valid for the duration for which empanelment has been made.

Clause16

The applicant newspaper/journal should furnish authenticated figures of circulation of ABC, Cost Accountant/Statutory Auditor/Chartered Accountant as per the criteria below:

up to 25000 Cost/Chartered Accountant/ Statutory Auditor Certificate in prescribed proforma/ABC Certificate.

25001 – 75000 –

Companies: Statutory Auditor certificate in prescribed proforma/ABC certificate.

Individuals: Chartered Accountant certificate in prescribed proforma/ABC certificate. Above 75000 – ABC /RNI certificate.

DAVP will take average circulation for the preceding one year as certified by RNI/ABC/Statutory Auditor/CA certificate, whichever is less.

NOTE 1 : The copies sold at more than 40% commission over the cover price of newspapers will not be taken into account for calculating DAVP rate.

NOTE 2 : RNI circulation certificate will be valid up to 4 years from the date of issue for the purpose.

NOTE 3: A publication with circulation upto 25000 need not submit RNI/ABC certificate.

Clause17

DG, DAVP reserves the right to have figures of circulation checked through its representatives or through RNI. However, there will be no circulation check for newspapers/journals with circulation upto 25,000.

Clause18

Suspension and Recoveries: A newspaper may be suspended from empanelment by DG, DAVP with immediate effect if

- a) found to have deliberately submitted false information regarding circulation or otherwise; or
- b) found to have discontinued its publication, changed its periodicity or its title or have become irregular or changed its premises/press without due intimation; or
- c) It has failed to submit its' Annual Return to the RNI or its' Annual Circulation Certificate from the prescribed agencies or
- d) Indulged in unethical practices or anti national activities as found by the Press Council of India. However, DAVP shall refer the case to the Ministry for appropriate decision in the matter.
- e) Convicted by Court of Law for such activities
- f) It refuses to accept and carry an advertisement issued by DAVP on behalf of the Ministries/Departments of Government of India, public sector undertakings and autonomous bodies on more than two occasions.

Provided that DG, DAVP shall not issue any order of suspension without giving a reasonable opportunity to the concerned newspaper in cases covered by (a), (b), (c) & (f) above.

In such cases the paper will remain suspended for a period upto 12 months. DAVP will effect recovery of any payments made in the past from the publisher in the case of (a), (b) & (c) above. The publisher should deposit within 60 days from the date of issue of Demand Letter for recovery by DAVP failing which empanelment of the paper will be discontinued with immediate effect without any further notice and recovery will be realized from the bills/payments pending with DAVP, if any. Till the recovery is made,

no advertisement will be issued.

Advertising Rate

Clause19

The rate structure for payment against advertisements released by DAVP will be worked out as per recommendations of the Rate Structure Committee. The rates will be related to certified circulation of a newspaper. All empanelled newspapers will have to enter into rate contract with DAVP on the basis of rate offered and other terms & conditions as laid down from time to time to ensure proper publication of DAVP advertisements as and when issued to such newspapers.

Payment and Adjustment Bills

Clause20

DAVP will release payment of advertisement bills in the name of the payee and at the address given by the newspaper in the application form for renewal of rate contract or fresh application for empanelment, as the case may be. No change in the payee's name or address will be entertained during the year of empanelment unless it is justified and found unavoidable or compelling.

Clause21

Every newspaper shall send one copy of the newspaper at their cost carrying DAVP advertisements, to the client at the address mentioned in the Release Order, failing which payment for the advertisement may not be considered. In addition, DAVP may ask for regular supply of specimen copies of any empanelled publication for period considered necessary. Newspapers may inform DAVP within 48 hours, if they have not been able to publish the advertisement on the due date.

Clause22

Every newspaper shall submit advertisement bills, complete in all respect, and supported with relevant documents, within 60 days of the publication of the advertisement. DAVP will make every effort to pay the advertisement bill within 60 days of receipt of bill.

Clause23

No newspaper will publish DAVP advertisement without receipt of the relevant Release Order. The DAVP issues Electronic Release Order through its website : www.davp.nic.in. No newspaper will publish DAVP advertisements without valid Release Order issued in its name.

Request for a duplicate Release Order by publications will be entertained on merits and on case to case basis.

Clause24

The newspaper will have to strictly adhere to the date of publication of DAVP advertisements as given in the Release Order. Publication of advertisement on dates other than that given in the Release Order, will not be accepted for payment.

Clause25

Release of Advertisements

As soon as requisitions for release of advertisements are received from various Ministries and Departments. DAVP will prepare a suitable media list keeping in view the objectives of the client Ministries/Departments, the contents, target audience for the advertisement and availability of funds in consultation with the client Ministries/Departments.

Clause26

DAVP will make efforts to release more advertisements to periodicals especially social messages and advertisements which are not date specific. Efforts will also be made to release more advertisements to newspapers with special emphasis on North East, J&K and other remote areas. While releasing display advertisements, DAVP will ensure that a balance is maintained between various categories of newspapers taking into account circulation, language, coverage area etc. For this purpose, the distribution of advertisements, Rupee terms, will be as under:

Category (in rupee terms)	Ceiling
Small	15% (minimum)
Medium	35% (minimum)
Big	50% (maximum)
English	30% (approx.)
Hindi	35% (approx.)
Regional and other languages	35% (approx.)

The above norms are indicative and should be adhered to in the overall media strategy of the Ministries /Departments to ensure maximum coverage at optimum cost. However, in specific cases where a Ministry/Department wishes to make a deviation from these norms, full and detailed justification should be given while placing the order.

DAVP shall bring all such deviations to the notice of the Ministry of Information & Broadcasting for information and necessary action.

Clause27

The powers to review vests with the Ministry of Information & Broadcasting, in cases where DG:DAVP is the final authority.

ANNEXURE

Documents required for empanelment with DAVP

1. RNI Registration Certificate Number.
2. Evidence for Circulation (Chartered Accountant Certificate/Cost Accountant Certificate/Statutory Auditor Certificate/ABC Certificate, as applicable).
3. Copy of the annual return submitted to RNI with receiving proof.
4. A daily newspaper should furnish issues of first one month along with issues of the 9th month and 17th month of their publication and Weeklies & Fortnightlies must furnish issues of preceding six months and monthlies should furnish latest 12 months issues.

Note: Where minimum criteria is six months, then specimen copies to be submitted for latest 3 months for Dailies and 6 months for all periodicals.

5. Three copies of the rate card.
6. Photocopy of the Permanent Account Number (issued by Department of Income Tax).

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई विज्ञापन नीति
(1 अक्टूबर, 2007 से लागू)

अनुच्छेद- 1.

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों के विज्ञापनों के लिए प्रमुख विज्ञापन एजेंसी है। विज्ञापन देने में सरकार का मूल उद्देश्य समाचारपत्रों और समसामयिक विषयों, विज्ञान, कला, साहित्य, खेलकूद, फिल्मों और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित पत्रिकाओं के जरिये विज्ञापन की अभिप्रेत विषय सामग्री अथवा संदेश का यथासंभव व्यापक प्रचार-प्रसार करना है। पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करते समय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय उस समाचारपत्र या पत्रिका की राजनीतिक संबद्धता अथवा संपादकीय नीतियों को नहीं देखता। फिर भी, निदेशालय उन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने से बचेगा, जो सांप्रदायिक भावनायें भड़काते हैं या भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंसा के लिए उकसाते हैं, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को कमजोर करते हैं या समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता और आचरण के मानदंडों को आघात पहुंचाते हैं।

पूर्व के सभी आदेशों को निष्प्रभाव करते हुए, सरकार ने एतद्वारा 2 अक्टूबर, 2007 से नई विज्ञापन नीति निर्धारित की है।

नोट : हाउस जर्नल, स्मारिकाओं एवं वार्षिक पत्रिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद- 2.

सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है। निदेशालय पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने के लिए उनकी सूची बनाता है जिसमें स्वीकृत पत्र-पत्रिकाओं को पैलबद्ध किया जाता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय केवल उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को पैल में रखेगा जिनकी भारत सरकार के विज्ञापनों को जारी करने के लिए आवश्यकता होगी। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को पैल में शामिल किया जाये जो देश के विभिन्न भागों में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा पढ़े जाते हों।

अनुच्छेद- 3.

केंद्र सरकार के सभी विज्ञापनों को डीएवीपी के माध्यम से भेजा जाएगा। मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत सभी सम्बद्ध कार्यालय, स्वायत्त संगठन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी विद्वृप्रनि के माध्यम से ही अपने विज्ञापन भेजेंगे। तथापि, वे विद्वृप्रनि दरों पर सूचीबद्ध समाचारपत्रों को ही सीधे तौर पर निविदा सूचनाएं भेज सकते हैं। सा.क्षे.उप., स्ववायत्त निकाएं एवं भारत सरकार की समितियां सूचीबद्ध समाचारपत्रों को विद्वृप्रनि दरों पर सीधे ही सभी विज्ञापन भेज सकते हैं वशर्त कि सभी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों को अधोलिखित विधि में जारी किया हो :-

(रुपए में)

लघु	न्यूनतम 15 %
मध्यम	न्यूनतम 35 %
बड़े	न्यूनतम 50 %

अंग्रेजी भाषा	(अनुमानतः) 30 %
हिंदी भाषा	(अनुमानतः) 35 %
क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाएं *	(अनुमानतः) 35 %

* जैसा कि बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाएं।

अनुच्छेद- 4.

सभी मंत्रालय/विभाग स्वायत्तशासी निकाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को नए वित्तीय वर्ष के प्रथम माह के भीतर विगत वर्ष में वास्तविक व्यय के 80% तक प्राधिकार पत्र (एलओए) जारी करना होगा तथा वित्तीय वर्ष की 28 फरवरी से पूर्व सभी शेषों का पूर्ण भुगतान करना होगा।

पैनल सलाहकार समिति

अनुच्छेद- 5.

सरकारी विज्ञापन छापने के लिए पैनलबद्ध करने हेतु पत्र-पत्रिकाओं के आवेदनों पर विचार करने के लिए एक पैनल सलाहकार समिति है। महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा इसमें पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) के अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार)/उप-महानिदेशक (सूचना एवं संचार), प्रेस पंजीयक/उप प्रेस पंजीयक तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में प्रिंट मीडिया का कार्य देख रहे निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव शामिल हैं। इस समिति में बड़े, मझोले तथा छोटे समाचारपत्रों के संगठन का एक-एक प्रतिनिधि भी होगा। पत्र-पत्रिकाओं को पैनलबद्ध करने के बारे में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक द्वारा स्वीकृत पैनल सलाहकार समिति की सिफारिशें आमतौर पर अंतिम होती हैं।

अनुच्छेद- 6.

सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों और समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की विविध श्रेणियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पैनल सलाहकार समिति निम्न श्रेणियों की पत्र/पत्रिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर पैनल में शामिल करने का ध्यान रखती है :

- छोटे और मझोले समाचारपत्र/पत्रिकायें
- विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्र जैसा कि – बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाएं।
- पिछड़े, सुदूरवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा जम्मू एवं कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाएं।

अनुच्छेद- 7.

समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार है :

- (1) छोटे समाचारपत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25,000 हो;
- (2) मझोले समाचारपत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25,001 से लेकर 75,000 हों ; और
- (3) बड़े समाचारपत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 75,000 से अधिक हो।

पैनल में शामिल करने के लिए मानदंड

अनुच्छेद- 8.

पहली बार पैनल में शामिल होने वाले सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को अधोलिखित का अनुपालन करना होगा :

1. उनका प्रकाशन कम से कम 36 माह से बिना रुके और नियमित रूप से हो रहा हो।
 - (क) क्षेत्रीय भाषाओं जैसेकि बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, सन्थाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाओं के समाचारपत्रों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए या जम्मू एवं कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों तथा उत्तर-पूर्व राज्यों में प्रकाशित समाचारपत्रों को छः माह के नियमित एवं अबाधित प्रकाशन के पश्चात् सूचीबद्धता हेतु विचार किया जा सकता है। सभी क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाई लघु एवं मध्यम समाचारपत्रों के मामले में, अर्हता अवधि 18 माह की रहेगी।
 - (ख) एक लाख एवं अधिक की प्रसार-संख्या वाले व्यापक परिचालित समाचारपत्रों की पाठक कार्यक्षमता का लाभ उठाने के लिए ऐसे समाचारपत्रों को प्रकाशन की एक वर्ष की अवधि के बाद सूचीबद्धता के लिए पात्र बनाया जायेगा। ऐसे समाचारपत्रों के प्रसार संख्या संबंधी दावे को तभी स्वीकार किया जायेगा जब वे आर.एन.आई. या एबीसी द्वारा प्रमाणित होंगे।
2. उन्हें प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।
3. विगत छः वर्षों में डीएवीपी ने उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया हो और न ही उनकी तरफ डीएवीपी की कोई लेनदारी बकाया हो।
4. अयोग्यता की अवधि छः साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. उन्हें आवेदन के साथ भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा अस्थापित घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।
6. आवेदक को भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा प्रकाशन के नाम जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
7. पैनलबद्ध होने के लिए वांछित विवरण जैसे समाचारपत्र का आकार, भाषा, आवधिकता, प्रिंट एरिया तथा प्रिंटिंग प्रेस आदि का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए।
8. इसके अतिरिक्त, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए कि समाचारपत्र उचित मानदंडों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है। उचित मानदंडों के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल हैं :
 - (क) मुद्रित सामग्री तथा फोटोग्राफ सुपाठ्य, स्वच्छ व स्पष्ट हो तथा धब्बे, दोहरी छपाई और काट-छांट से रहित होनी चाहिए।
 - (ख) इनमें अन्य अंकों से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
 - (ग) इनमें अन्य पत्र-पत्रिकाओं से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
 - (घ) इसके मुखपृष्ठ पर समाचारपत्र का शीर्षक (मास्टहेड) और प्रकाशन का स्थान, तिथि तथा दिन मुद्रित होना चाहिए ; इसमें भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय की पंजीकरण संख्या, खण्ड एवं अंक संख्या, पृष्ठों की संख्या तथा समाचारपत्र/पत्रिका का मूल्य भी मुद्रित होना चाहिए।
 - (ङ) समाचारपत्र में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इंप्रिंट लाईन मुद्रित होनी चाहिए।
 - (च) अन्दर के पृष्ठों में पृष्ठ संख्या, पृष्ठ का शीर्षक तथा प्रकाशन की तिथि मुद्रित होनी चाहिए। अनेक संस्करणों वाले समाचारपत्रों के लिए प्रकाशन का स्थान भी अन्दर के पृष्ठों में उल्लिखित होना चाहिए।
 - (छ) सभी प्रकाशनों में सम्पादकीय मुद्रित होना चाहिए।

नोट : पैनल में शामिल होने/दर नवीकरण के लिए आवेदन देने से पहले प्रकाशक को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नीति में दी गई सभी शर्तों को उनका प्रकाशन पूरा करता है। आवेदन पत्र सभी दृष्टि से पूरा होना चाहिए तथा उसके साथ संबंधित दस्तावेज भी होने चाहिए। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन एक वर्ष में दो बार ही किया जा सकता है – पहली बार फरवरी के अंत में तथा दूसरी बार अगस्त के अंत में। फरवरी अंत से पूर्व किए गए आवेदनों पर उसी वर्ष के माह में विचार किया जायेगा तथा उनका अनुबंध उसी वर्ष की 1 जुलाई से शुरू होगा तथा अगस्त अंत से पूर्व किए गए आवेदनों पर नवंबर में विचार किया जाएगा एवं उनका

अनुबंध अगले वर्ष की 1 जनवरी से शुरू होगा। पैनल में शामिल होने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुच्छेद- 9.

उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के बावजूद विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक को पैनल सलाहकार समिति के अध्यक्ष के नाते यह विवेकाधिकार होगा कि वह पैनल सलाहकार समिति के अनुमोदन पर किसी समाचारपत्र को छः महीने के लिए या पैनल सलाहकार समिति की अगली बैठक तक अस्थायी रूप से पैनल में शामिल कर सकते हैं, बशर्ते कि उक्त समाचारपत्र ने पैनल में शामिल होने संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लीं हों या फिर उसे सरकारी विज्ञापन छापने के लिए उपयुक्त पाया गया हो। अस्थायी रूप से पैनल में शामिल किए जाने के सभी मामले पैनल सलाहकार समिति की अगली बैठक में समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

अनुच्छेद- 10.

रेट कांट्रेक्ट

सभी सूचीबद्ध समाचारपत्रों को कहा जायेगा कि वे दरों के बारे में अनुबंध के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ रेट कांट्रेक्ट (दर अनुबंध) करें जो तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। हालांकि चार्टर्ड एकाउंटेंट/आर.एन.आई./ए.बी.सी. के प्रमाणपत्रों के आधार पर, जो भी लागू हो, दर अनुबंध की वैध अवधि के दौरान, दर अनुबंध की अवधि से एक वर्ष पूरा होने के बाद वितरण में परिवर्तन केवल एक बार स्वीकार किया जा सकता है, जिसके लिए आर.एन.आई. को गत वर्ष की वार्षिक विवरणी जमा करने का प्रमाण विधिवत् रूप से संलग्न होना चाहिए। हालांकि ए.बी.सी./आर.एन.आई. से वितरण में कमी संबंधी सूचना के मामले में महानिदेशक, वि.दू.प्र.नि. का निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणी 1:- दर अनुबंध के नवीकरण के आवेदन पत्र वि.दू.प्र.नि. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टिप्पणी 2:- सभी सूचीबद्ध प्रकाशन, आर.एन.आई. को जमा की गई गत वर्ष की वार्षिक विवरणी की प्रति आर.एन.आई. के प्राप्ति प्रमाण के साथ, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक जमा करा दें ऐसा न करने पर महानिदेशक, वि.दू.प्र.नि. द्वारा समाचार पत्र को पैनल से हटा दिया जाएगा।

अनुच्छेद- 11.

नियमितता

नियमित प्रकाशन के लिए आवेदक ने पिछले 12 महीनों के दौरान हर महीने कम से कम 25 दिन समाचारपत्र अवश्य प्रकाशित किया हो। इसी तरह साप्ताहिक पत्रिकाओं ने पिछले वर्ष 46 अंक; पाक्षिक पत्रिकाओं ने 23 अंक एवं मासिक पत्रिकाओं ने बीते वर्ष में 11 अंक प्रकाशित किये हों तो उन्हें नियमित रूप से प्रकाशित हुआ माना जायेगा।

अनुच्छेद- 12.

जिन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की स्थापित प्रसार संख्या प्रति प्रकाशन दिवस 75,000 से अधिक प्रतियां हो और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ने भी इसे प्रमाणित किया हो, उसी शीर्ष के साथ गत गत चार महीनों में नियमित प्रकाशन के बाद वे एक नई जगह से अपना ताजा संस्करण पैनल में शामिल करवा सकते हैं किंतु ऐसे मामलों में ताजा संस्करण को पैनल में सबसे कम प्रसार संख्या वाले स्लैब में ही रखा जाएगा।

छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों (दैनिक) के मामले में, विज्ञापन नीति की अन्य शर्तों के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित वितरण के अनुसार 4 महीने के नियमित प्रकाशन के बाद इनके नवीन संस्करणों को भी पैनल में शामिल किया जा सकता है।

अनुच्छेद- 13.

किसी समाचारपत्र/पत्रिका को पैनल में शामिल करने पर तभी विचार किया जाएगा जब उसकी कम से कम 2000 प्रतियों की बिक्री हुई हो। हालांकि, बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिज़ो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू तथा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाओं में देशभर में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र/पत्रिकाएं तथा पिछड़े, सीमावर्ती, पर्वतीय क्षेत्रों या दूरस्थ क्षेत्रों या जनजातीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र/पत्रिकाएं या जो जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रकाशित होते हों उन्हें प्रति प्रकाशन दिवस के लिए न्यूनतम 500 प्रतियों का ही पेड वितरण प्रमाणित करना होगा।

अनुच्छेद- 14.

एक समाचारपत्र/पत्रिका में न्यूनतम प्रिंट एरिया इस प्रकार होना चाहिए :

अवधि	से न्यूनतम प्रिंट एरिया
दैनिक	1520 स्टे.कॉ.से.मी./7600 वर्ग सें.मी.
साप्ताहिक/पाक्षिक	700 स्टे.कॉ.से.मी./3500 वर्ग सें.मी.
मासिक	960 स्टे.कॉ.से.मी./4800 वर्ग सें.मी.

हालांकि, खंड 13 में उल्लिखित श्रेणी में आने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के मामले में पैनल सलाहकार समिति द्वारा विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

अनुच्छेद- 15.

महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पैनल में शामिल करने के लिए पहले दी गई मंजूरी तब तक वैध रहेगी जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाती।

अनुच्छेद- 16.

आवेदन करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को प्रसार संख्या के बारे में ए.बी.सी., लागत लेखाकार/सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित आंकड़े नीचे दिये गये मानदंड के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे:-

25000 प्रतियों तक – निर्धारित प्रपत्र में लागत लेखाकार/चार्टर्ड एकाउंटेंट/सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र/ए.बी.सी. का प्रमाणपत्र।

25001-75000 तक
कम्पनियों : निर्धारित प्रपत्र में सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र/ए.बी.सी. का प्रमाणपत्र।

व्यक्ति : निर्धारित प्रपत्र में सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र/ए.बी.सी. का प्रमाणपत्र।
75000 से अधिक – ए.बी.सी./आर.एन.आई. का प्रमाणपत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय पिछले एक वर्ष के लिए आर.एन.आई./ ए.बी.सी./ सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाणपत्र में प्रमाणित औसत प्रसार संख्या को मानेगा।

नोट 1: जो प्रतियां समाचारपत्रों के मुख्य पृष्ठ पर अंकित मूल्य पर 40% से अधिक कमीशन पर बेची गई हैं उन्हें वि.दृ.प्र.नि. की दर की गणना करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

नोट 2: आर.एन.आई. वितरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि तक वैध होगा।

नोट 3: 25,000 तक के वितरण वाले प्रकाशन को आर.एन.आई./ए.बी.सी. प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद- 17

महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को अपने प्रतिनिधियों अथवा आर.एन.आई. के माध्यम से प्रसारसंख्या के आंकड़ों की जांच करने का अधिकार होगा। तथापि, उन पत्र-पत्रिकाओं की कोई जांच नहीं होगी जिनकी प्रसार संख्या 25,000 तक है।

अनुच्छेद- 18

निलंबन और वसूलियां: महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ऐसे समाचारपत्र को तत्काल प्रभाव से सूची से निलंबित कर सकते हैं जिसके बारे में :

- (क) यह पाया गया कि उसने जानबूझकर प्रसार संख्या अथवा किसी अन्य विषय के संबंध में झूठी सूचना दी है ; अथवा
- (ख) यह पाया गया कि उसने प्रकाशन स्थगित कर दिया है, उसकी अवधि या शीर्षक बदल दिया है या उसका प्रकाशन अनियमित हो गया है या उसने किसी पूर्व सूचना के बिना अपना परिसर/प्रेस बदल दिया है ; अथवा
- (ग) यह पाया गया कि वह आर.एन.आई. को अपना वार्षिक विवरण अथवा निर्धारित एजेंसियों से प्राप्त होने वाला वार्षिक प्रसार संख्या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा ; अथवा
- (घ) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा यह पाया गया कि वह अनैतिक या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलग्न है ; तथापि वि.दृ.प्र.नि. इस मामले में उचित निर्णय लेने के लिए मामले को मंत्रालय को भेजेगा।
- (ङ.) इस तरह की गतिविधियों के लिए उसे किसी न्यायालय ने दंडित किया है।
- (च) यदि कोई समाचार पत्र भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों की ओर से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों को लेने और प्रकाशित करने से दो बार से अधिक बार मना करता है।

बशर्ते कि, महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय उपरोक्त (क), (ख) (ग) और (घ) से संबंधित मामलों में उस समाचार पत्र को पर्याप्त अवसर दिए बिना निलंबन के कोई आदेश जारी न करें।

इस प्रकार के मामलों में समाचार-पत्र को 12 महीने की अवधि तक निलंबित रखा जाएगा। उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के मामले में डीएवीपी प्रकाशक से, उसे पहले किये जा चुके भुगतान की वसूली करेगा। प्रकाशक को डीएवीपी से वसूली के लिए मांग पत्र जारी होने की तारीख के 60 दिन के भीतर यह राशि जमा करनी होगी अन्यथा समाचार-पत्र को बिना कोई नोटिस दिए तत्काल प्रभाव से पैनल से हटा दिया जाएगा और बकाया राशि डीएवीपी के पास लंबित पड़े बिलों/भुगतानों, 'यदि कोई है तो', से वसूली की जाएगी। जब तक यह वसूली नहीं हो जाती तब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन दर

अनुच्छेद- 19.

वृत्तज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी वृत्तज्ञापनों के लिए भुगतान हेतु दर ढांचा, दर ढांचा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसी समाचारपत्र की प्रमाणित प्रसार संख्या के आधार पर दरें निर्धारित की जाएंगी। पैनल में शामिल सभी समाचारपत्र वृत्तज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरें तथा अन्य शर्तें मानते हुए निदेशालय के साथ रेट कांट्रैक्ट करेगा और इन समाचारपत्रों को निदेशालय जब भी वृत्तज्ञापन जारी करेगा, वह उनका प्रकाशन सुनिश्चित करेगा।

बिलों का भुगतान और समायोजन

अनुच्छेद-20

वृत्तज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय प्राप्तकर्ता के नाम से वृत्तज्ञापन बिलों की राशि का भुगतान करेगा। यह भुगतान उसी पते पर भेजा जायेगा जो समाचारपत्र ने रेट कांट्रैक्ट नवीकरण फार्म में या पैनल में शामिल करने के नये आवेदन में दिया है। पैनल में शामिल होने के वर्ष के दौरान प्राप्तकर्ता के नाम या पते में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह औचित्यपूर्ण न हो और ऐसा करना अपरिहार्य न हो या बाध्यकर न हो गया हो।

अनुच्छेद-21.

प्रत्येक समाचारपत्र को अखबार की एक प्रति जिसमें वृत्तज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का वृत्तज्ञापन छपा हो अपने वृत्तज्ञापनदाता को रिलीज आर्डर में दिये गये पते पर भेजना आवश्यक है। ऐसा न करने पर वृत्तज्ञापन के लिए भुगतान करने पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डीएवीपी पैनल में शामिल किसी प्रकाशन की नमूना प्रतियों की निर्धारित अवधि हेतु नियमित आपूर्ति की मांग कर सकता है। यदि समाचार पत्र निर्धारित तारीख तक वृत्तज्ञापन प्रकाशित करने में सक्षम न हो तो उसे 48 घंटे के भीतर डीएवीपी. को इसकी सूचना देनी होगी।

अनुच्छेद-22.

प्रत्येक समाचार-पत्र को सभी तरह से पूर्ण और संबंधित दस्तावेजों सहित अपना वृत्तज्ञापन-बिल, वृत्तज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर ही प्रस्तुत करना होगा। वृत्तज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय हर संभव प्रयास करेगा कि बिल प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर ही भुगतान कर दें।

अनुच्छेद-23.

कोई भी समाचार-पत्र संबंधित रिलीज आर्डर मिले बिना वृत्तज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का वृत्तज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। वृत्तज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय अपनी वेबसाइट www.davp.nic.in की मार्फत इलेक्ट्रॉनिक रिलीज आर्डर जारी करता है। कोई भी समाचार-पत्र अपने नाम से जारी वैध रिलीज आर्डर के बिना वृत्तज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के वृत्तज्ञापनों का प्रकाशन नहीं करेगा। समाचार-पत्रों डुप्लीकेट रिलीज आर्डर जारी करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर वृत्तज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय गुण-दोष के आधार पर और प्रत्येक मामले में अलग-अलग रूप से विचार करेगा।

अनुच्छेद-24.

समाचारपत्र को रिलीज आर्डर में वि.दू.प्र.नि. के वृत्तज्ञापनों के प्रकाशन की दर्शाई गई तिथि का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि वृत्तज्ञापन का प्रकाशन रिलीज आर्डर में दर्शाई गई तिथि के अलावा किसी अन्य तिथि को, किया जाता है तो ऐसे मामलों में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

वृत्तज्ञापनों को जारी करना

अनुच्छेद-25.

जैसे ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से विज्ञापन जारी करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, डीएवीपी ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के उद्देश्यों, विषयवस्तु, विज्ञापन के लक्षित वर्ग तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद एक उपयुक्त मीडिया सूची तैयार करेगा।

अनुच्छेद-26.

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ऐसे आवधिक प्रकाशनों को अधिक विज्ञापन, विशेषतौर से सामाजिक संदेश वाले ऐसे विज्ञापन जारी करने का प्रयास करेगा जिनके प्रकाशन की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। इस आशय के भी प्रयास किए जाएंगे कि पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य सुदूर क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखने वाले समाचारपत्रों को अधिक विज्ञापन जारी किए जाएं। सजावटी विज्ञापन जारी करते समय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय सुनिश्चित करेगा कि प्रसार संख्या, भाषा, कवरेज एरिया की दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के अखबारों में एक संतुलन बना रहे। इस प्रयोजन के लिए रूपए के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार होगा:

<u>श्रेणी</u>	<u>सीमा (रूपए में)</u>
छोटे	(न्यूनतम) 15%
मझोले	(न्यूनतम) 35%
बड़े	(अधिकतम) 50%
अंग्रेजी	(लगभग) 30%
हिंदी	(लगभग) 35%
अन्य भाषाएं	(लगभग) 35%

उपर्युक्त मानदंड निर्देशात्मक हैं और मंत्रालयों/विभागों की समग्र मीडिया नीति में इनका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए ताकि अनुकूलतम राशि में अधिकतम कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, कुछ विशेष मामलों में जहां मंत्रालय/विभाग इन मानदंडों से बचना चाहता है, उसे आदेश प्रस्तुत करते समय पूर्ण तथा विस्तृत औचित्य देना चाहिए।

डीएवीपी ऐसे सभी मामलों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में लाएगा।

अनुच्छेद-27.

जिन मामलों में महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. अंतिम रूप से प्राधिकृत अधिकारी हैं उनमें समीक्षा का अधिकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय का होगा।

डीएवीपी में सूचीबद्ध होने के लिए जरूरी कागजात

1. आर.एन.आई. पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या ।
2. प्रसार संख्या का प्रमाण (चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र/लागत लेखाकार प्रमाणपत्र/सांविधिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो) ।
3. आर.एन.आई. को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति ।
4. दैनिक अखबार को अपने प्रकाशन के पहले माह के अंकों को 9 वें और 17 वें माह के अंकों के साथ प्रस्तुत करना होगा और साप्ताहिक व पाक्षिक समाचारपत्रों के पिछले 6 माह के अंक प्रस्तुत करने होंगे तथा मासिकों को 12 माह के नवीनतम प्रकाशनों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी ।
नोट : जिन मामलों में न्यूनतम मानदण्ड 6 माह है उनमें दैनिकों को 3 माह की नवीनतम नमूना प्रतियां और सभी पत्रिकाओं को 6 माह की नवीनतम नमूना प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी ।
5. रेट कॉर्ड की तीन प्रतियां ।
6. स्थाई लेखा संख्या (आयकर विभाग द्वारा जारी) की फोटो प्रति ।